नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

7.22 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थी को दस्तावेज पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है, आगामी पेशी पर दस्तावेज आवश्यक रूप से पेश करे। वास्ते पत्रावली मे पेश होने दस्तावेज हेतु नियत दिनांक 5.8.22 को पेश हो।

.8.22 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उप० वकील प्रार्थी ने दस्तावेज सूची मय दस्तावेज पेश किये जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वास्ते पत्रावली पुनः मजिद बहस हेतु नियत दिनांक 16.8.22 को पेश हो।

.8.22 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षो की पुनः बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 30.8.22 को पेश हो।

30.8.22 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 8.9.22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

8.9.22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 1624, 1626, 1625 भूमि ग्राम मेजा परवार हल्का मेजा तहसील माण्डल मे स्थित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य के लिए आने-जाने बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज बैल व कृषि यन्त्र व कृषि उपज लाने-ले जाने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर [illegible]

अप्रार्थीगण की आराजी नं. 2826/1623 मे से 10 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की ईस्तदुआ की।

जब कि अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया एंव तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया एंव मनन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजियात ग्राम मेजा परवार हल्का मेजा तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नम्बर 1624, 1626, 1625 भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है, एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है. उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2826/1623 की पूर्व से पश्चिम नदी के किनारे-किनारे से होकर दक्षिण से उत्तर दिशा की मेड़ के सहारे-सहारे प्रार्थीगण की आराजी नं. 1625 तक अप्रार्थीगण की आराजी सं. 2826/1623 मे से 10 फीट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है। 10 फीट चौड़ाई के रास्ते मे काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार माण्डल को लिखा जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी